इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 13, शक 1942

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

क्र. एफ–37–4–2017–बीस–3.– मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2018) की धारा 14 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा फीस के अधिनियम और संबंधित विषयों हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 26 जून, 2018 में पूर्व में प्रकाशित किया गया था, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ –**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 है।
   (2) यह, ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं:–**
   (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
      (क) "शैक्षणिक सत्र" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा अंर्तर्राष्ट्रीय बोर्ड सहित अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित शैक्षणिक सत्र;
      (ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017;
      (ग) "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो प्राचार्य / प्रधानाध्यापक / संचालक / प्रबंधक / न्यासी हो तथा जो इन नियमों के अधीन निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित वचनबंध या प्रतिज्ञान या अन्य सुसंगत जानकारी वाले किन्हीं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हो;
      (घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;
      (ङ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;
      (च) "जिला समिति" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 7 के अधीन फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति;

(छ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन विहित प्ररूप;

(ज) "पोर्टल" से अभिप्रेत है, अधिनियम के प्रयोजनों और इन नियमों के कार्यान्वयन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभिनिर्धारित आधिकारिक वेब पोर्टल ;

(झ) "स्कूल शिक्षा विभाग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का स्कूल शिक्षा विभाग;

(ञ) "राज्य समिति" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए है, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. **सामान्य जानकारी एवं लेखाओं की प्रस्तुति तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रकिया:-**

(1) **प्रारंभिक जानकारी--** प्रत्येक निजी विद्यालय इन नियमों के अधिसूचित होने के 90 दिनों के भीतर, पोर्टल पर निम्नानुसार जानकारी तथा अभिलेख, यथास्थिति, दर्ज अथवा अपलोड करेगें:-

(एक) **विद्यालयीन सामान्य जानकारी--** प्रत्येक निजी विद्यालय के लिए पोर्टल पर अद्यतन जानकारी प्ररूप-एक के अनुसार प्री-फिल्ड रूप से उपलब्ध होगी, जो निजी विद्यालय के प्राधिकृत जो संबंधित निजी विद्यालय की धारा 2 की उप-धारा (1) (ग) में यथा परिभाषित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अद्यतन, सत्यापित और अपलोड की जाएगी।

(दो) **संपरीक्षित लेखों संबंधी जानकारी--** प्रत्येक निजी विद्यालय इन नियमों के अधिसूचित होने के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के संपरीक्षित लेखों की प्रतियां प्ररूप-दो अनुसार पोर्टल पर अपलोड करेगा। संपरीक्षित लेखों में चिट्ठा (बेलेन्स शीट), प्राप्ति एंव भुगतान पत्रक, आय व्यय शेड्यूल सहित तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित होगें।

(2) **प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी--** प्रत्येक निजी विद्यालय प्रबंधन प्रतिवर्ष आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 180 दिवस पूर्व पोर्टल पर निम्नानुसार जानकारी तथा अभिलेख यथा स्थिति दर्ज अथवा अपलोड करेगा:-

(एक)उपनियम 3(1) के खण्ड (1) के खण्ड (एक) के अधीन विद्यालय संबंधी सामान्य जानकारी में परिवर्तन होने की स्थिति में प्ररूप-एक की जानकारी अद्यतन करेगा एवं सत्यापित करेगा।

(दो) विगत वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित लेखें प्ररूप-दो अनुसार अपलोड करेगा।

(तीन) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट प्राक्कलन की सत्यापित प्रति प्ररूप-दो अनुसार अपलोड करेगा।

(चार) आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना प्ररूप-तीन अनुसार पोर्टल पर अपलोड करेगा। प्रस्तावित फीस संरचना में अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) में उपबंधित फीस की मदों के विरूद्ध संदेय राशि का उल्लेख करेगा। प्रस्तावित फीस संरचना के साथ ऐसी प्रकिया फीस ऑनलाइन जमा करेगा, जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए। यदि प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे कम है तो आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व तक पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा।

(3) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसार प्रकिया फीस के संग्रहण हेतु विभाग द्वारा एक पृथक खाते का संधारण किया जाएगा। उक्त खाते का संचालन, संचालक, लोक शिक्षण अथवा अपर संचालक, लोक शिक्षण एवं संयुक्त संचालक, वित्त लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। प्रत्येक निजी विद्यालय प्रस्तावित फीस संरचना के साथ निर्धारित प्रकिया फीस इस खाते में ऑनलाइन जमा की जावेगी।

(4) निजी विद्यालय द्वारा उपनियम (2) के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी मय प्रकिया फीस, नियत समयसीमा में प्रस्तुत न करने की स्थिति में जिला समिति, उक्त निजी विद्यालय पर ऐसा अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेगी जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए।

4. **जिला/राज्य समिति द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना का परीक्षण और प्रस्ताव पर निर्णय लेने की प्रक्रिया :-**

(1) नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (2) के उप खण्ड (चार) अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे कम है तो निजी विद्यालय ऐसी प्रस्तावित फीस वृद्धि करने हेतु सक्षम होगा। निजी विद्यालय द्वारा प्ररूप तीन में प्रस्तुत ऐसी फीस वृद्धि का प्रस्ताव जिला समिति के सम्यक रूप से सूचित और स्वीकृत मान्य होगा। जिला समिति द्वारा इस संबंध में कोई पृथक आदेश जारी करना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड के उपखण्ड (चार) के अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10% से अधिक किन्तु 15% या उससे कम है, तो जिला समिति प्रस्तावित फीस संरचना पर 45 कार्यदिवसों के भीतर निर्णय लेगी।

(3) नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड के उपखण्ड (चार) के अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 15% से अधिक है, तो जिला समिति 07 कार्यदिवसों के भीतर अपने अभिमत सहित प्रस्ताव को राज्य समिति को प्रेषित करेगी।

(4) जिला समिति प्रस्तावित फीस संरचना पर निर्णय हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करेगी:–

(क) प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत जानकारी व दस्तावेजों का परीक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित फीस संरचना अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) एवं धारा 5 की उपधारा (3) के अनुक्रम में है।

(ख) निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तुत फीस संरचना के परीक्षण तथा प्रस्तावित फीस संरचना पर निर्णय की प्रकिया में उद्‌भूत ऐसे बिन्दुओं पर जैसा कि समिति द्वारा नियत किया जाए, पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं ले सकेगी। विभाग जिलावार चार्टर्ड अकाउंटेस का चिन्हांकन तथा उन्हें भुगतान किये जाने वाले शुल्क के संबंध में समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(ग) निजी विद्यालय के प्रबंधन से ऐसी अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य मांग सकेगी, जो कि प्रस्तावित फीस संरचना पर विनिश्चय करने के लिए वह आवश्यक समझती है।

(घ) प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में दी गई जानकारी अथवा तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए सहायक संचालक, लोक शिक्षण से अनिम्न स्तर के अधिकारी को निर्देशित कर सकेगी।

(ङ) फीस संरचना प्रस्ताव पर निर्णय लेने के पूर्व विद्यालय प्रबंधन को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी। आवश्यक होने पर संबंधित विद्यालय में प्रवेशित छात्रों अथवा उनके माता–पिता या अभिभावकों को भी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सकेगी।

(च) प्रस्तावित फीस संरचना पर निर्णय लेने हेतु 45 कार्यदिवस की समयसीमा जिला समिति के लिए बाध्यकारी होगी। इस कालावधि की गणना करने में उपनियम (4)(ग) के अधीन निजी विद्यालय द्वारा लिया गया समय सम्मिलित नहीं माना जाएगा।

(छ) जिला समिति द्वारा पारित निर्णय को जिला शिक्षा अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित विद्यालय को प्ररूप–चार में सूचित करेगा। ऑनलाइन आदेश को प्रत्येक उद्‌देश्य के लिए सम्यक रूप से तामील किया गया माना जावेगा।

(5) उपनियम (4)(क) से (4)(च) तक के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तन सहित राज्य समिति पर भी लागू होंगे।

(6) उपनियम (3) अनुसार प्रस्ताव पर राज्य समिति, प्रस्तावित फीस संरचना पर 45 कार्यदिवसों में निर्णय लेगी। यह समयसीमा राज्य समिति के लिए बाध्यकारी होगी। इस कालावधि की गणना करने में उपनियम (4)(ग) के अधीन निजी विद्यालय द्वारा लिया गया समय, यदि कोई है तो, उसे सम्मिलित नहीं माना जाएगा।

(7) संचालक, लोक शिक्षण, राज्य समिति द्वारा पारित निर्णय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित विद्यालय को प्ररूप–पांच (एक) में सूचित करेगा। ऑनलाइन आदेश को प्रत्येक उद्‌देश्य के लिए सम्यक रूप से तामील किया गया माना जावेगा।

(8) निजी विद्यालय प्रबंधन, उपनियम (1) के अनुसार प्रस्तावित की गई अथवा उपनियम (4) के खण्ड (छ) के अनुसार जिला समिति द्वारा अथवा उपनियम (6) के अनुसार राज्य समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस संरचना हिंदी और अंग्रेजी भाषा में विद्यालयीन सूचना–पटल एवं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जनसामान्य के सूचनार्थ प्रदर्शित करेगा।

(9) निजी विद्यालय का प्रबंधन या उसकी तरफ से अधिकृत कोई व्यक्ति इस नियम के उपबंधो के अधीन विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा। किसी छात्र, माता पिता या अभिभावक से किसी भी नाम से कोई दान या प्रति व्यक्ति (केपिटेशन) फीस प्राप्त नहीं करेगा। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण नियम 9 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

(10) इस नियम के उपबंधों के अधीन विनिश्चित फीस से अधिक फीस यदि संग्रहित की गई है, तो जिला समिति अथवा राज्य समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विनिश्चित दिनांक से 30 कार्यदिवसों की कालावधि के भीतर निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा संबंधित छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों को प्रतिदाय (वापस) की जाएगी। फीस प्रतिदाय की सूचना संबंधित विद्यालय द्वारा यथास्थिति, जिला अथवा राज्य समिति को दी जायेगी।

(11) जिला अथवा राज्य समिति जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विनिश्चित फीस यदि विद्यालय द्वारा संग्रहित फीस से अधिक है तो ऐसी स्थिति में फीस का अंतर युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा कि जिला अथवा राज्य समिति अपने आदेश में विनिर्दिष्ट करे, छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन को वापस की जाएगी।

5. **फीस के निक्षेप तथा उपगत व्ययों के लिए बैंक खाता :–** (1) प्रत्येक निजी विद्यालय का एक बैंक खाता होगा जिसे निजी विद्यालय द्वारा फीस के निक्षेप के लिए अभिहित किया जाएगा। निजी विद्यालय द्वारा प्रवेश के समय छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों को उक्त बैंक खाते का विवरण और फीस जमा करने की प्रकिया के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। यह जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं आधिकारिक वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(2) पालकों अथवा अभिभावकों द्वारा फीस का भुगतान ऑनलाईन प्रकिया द्वारा अथवा ऑफलाईन माध्यमों जैसे नकद, चेक इत्यादि द्वारा किया जा सकेगा। निजी विद्यालय समस्त प्राप्त फीस की राशि उपनियम (1) अनुसार अभिहित बैंक खाते में जमा कराई जावेगी।

(3) निजी विद्यालय, पालकों अथवा अभिभावकों को उनके द्वारा जमा की गई फीस की रसीद प्रदाय करेगा। ऑनलाइन जमा की गई फीस की रसीद उक्त भुगतान के बैंक खाते से सत्यापन के बाद प्रदान की जाएगी।

(4) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा समस्त लेन–देन व्यवहार उप नियम (1) के अनुसार अभिहित खाते के माध्यम से किया जाएगा। नकद आहरण एवं संवितरण का प्रचलन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40क की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत कर सकेगा।

6. **संबंधित विषयों का विनियमन :–**

(1) संबंधित विषयों को निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जाएगा, अर्थात :–

(क) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा, विद्यालय प्रवेश प्रारंभ की तिथि एवं प्रकिया, विद्यालय में उपयोग में लायी जाने वाली पाठ्यपुस्तके, स्टेशनरी, पठन सामग्री, बैग, यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स किट, ट्रांसपोर्ट सुविधा, फीस अथवा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संग्रहित की जाने वाली धनराशि का विवरण विद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(ख) निजी विद्यालय विद्यालय की विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक जानकारी विद्यालय के सूचना पटल एवं आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करायेगा। इस हेतु यदि अभिभावकों द्वारा कोई भुगतान किया जाना अपेक्षित है तो स्पष्टतः उल्लेख करेगा।

(ग) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण ऐसे संबद्धता बोर्ड अथवा परीक्षा निकाय के विनियमों के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि वह संबद्ध है।

(घ) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से कय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक, किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से कय करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

(ङ) विद्यालय प्रबधंन द्वारा यूनिफॉर्म को छोड़कर किसी भी पाठ्य सामग्री पर विद्यालय का नाम उल्लिखित नहीं किया जाएगा।

(च) यदि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालयीन गणवेश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी तीन शैक्षणिक सत्रों तक यथावत लागू रहेगी। तीन वर्ष की अवधि पश्चात ही गणवेश में परिवर्तन किया जा सकेगा।

(छ) निजी विद्यालय प्रबंधन, परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

(ज) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में इस हेतु अभिभावकों से प्राप्त की जाने वाली राशि, नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (4) अनुसार प्रस्तावित फीस संरचना में सम्मिलित की जाएगी।

(2) निजी विद्यालय संबंधित विषयों के बारे में उपनियम (1) में वर्णित प्रावधानों का पालन करेगा। इस आशय का वचन पत्र प्रतिवर्ष प्ररूप–छह अनुसार पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

7. **जिला समिति की कार्य प्रकिया एवं कृत्यः**–(1) अध्यक्ष, जिला समिति, फीस तथा अन्य संबंधित विषयों के विनियमन हेतु अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत गठित जिला समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) जिला समिति की बैठक की तिथि, समय व स्थान तथा एजेंडा अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। सदस्य सचिव द्वारा इसे जिला समिति के सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा।

(3) बैठक का एजेंडा एवं सूचना जिला समिति के प्रत्येक सदस्य को ऐसी समय सीमा व तरीके से भेजी जाएगी, जैसी कि जिला समिति द्वारा नियत की जाए।

(4) जिला समिति की बैठक की गणपूर्ति न्यूनतम तीन सदस्यों से होगी। गणपूर्ति हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(5) जिला समिति का सदस्य सचिव, अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेगा। सदस्य सचिव बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार करेगा और बैठक की तारीख से 07 दिनों के भीतर समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित करेगा।

(6) जिला समिति के निर्णय तथा आधिकारिक पत्राचार सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से संसूचित व जारी किए जाऐंगे।

8. **राज्य समिति की कार्य प्रकिया एवं कृत्यः**– (1) नियम 7 के समस्त उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित राज्य समिति पर लागू होंगे।

(2) राज्य समिति, इस नियम के नियम 11 के अनुकम में निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तुत अपील का विनिश्चय करेगी।

(3) राज्य समिति, जिला समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति को घटा या बढ़ा सकेगी अथवा निरस्त कर सकेगी।

9. **फीस वृद्धि और संबंधित विषयों के बारे में शिकायतों का निपटारा–**

(1) जिला समिति शिकायत की जाँच करेगी, यदि– यह छात्र या छात्र के माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा अधिनियम और/या इन नियमों के किन्हीं भी उपबंधों के उस विद्यालय के प्रबंधन द्वारा उल्लंघन के संबंध में है, जिसमें छात्र अध्ययन कर रहा है।

(2) जिला समिति, अधिनियम और/या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन संबंधी मामले का स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगी और आवश्यकतानुसार उसकी जांच कर सकेगी।

(3) जिला समिति, ऐसे निजी विद्यालय के परिसर में, जिसके विरूद्ध उपनियम (1) एवं (2) अनुसार जांच संस्थित की गई है, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रवेश के लिए सहायक संचालक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी।

(4) उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसे दस्तावेजों की, जो जांच के संचालन के लिए आवश्यक और सुसंगत प्रतीत हों, तलाशी, निरीक्षण और जब्ती करेगा।

(4) जिला समिति को जाँच के प्रयोजन हेतु वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:–

(क) किसी भी साक्षी को समन कराना और उसे हाजिर होने को विवश करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना; और

(घ) साक्षी के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना।

(6) जिला समिति ऐसे निजी विद्यालय के प्रबंधन को, जिसके विरूद्ध जाँच संस्थित की गई है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी।

(6) जिला समिति ऐसे निजी विद्यालय के प्रबंधन को, जिसके विरूद्ध जाँच संस्थित की गई है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी।

(7) उपनियम (1) एवं (2) के अधीन, फीस में वृद्धि के संबंध में जाँच की पूर्णता पर, यदि जिला समिति यह पाती है कि निजी विद्यालय द्वारा नियम 4 के अधीन अनुज्ञात फीस से अधिक फीस संग्रहित की गई है तो यह उक्त निजी विद्यालय के प्रबंधन को उन छात्रों या उनके पालक या अभिभावकों को, जिनसे कि ऐसी फीस संग्रहीत की गई है, प्रतिदाय (वापस) करने संबंधी आदेश पारित करेगी। आदेश पत्र में फीस वापस करने की समय सीमा व रीति का उल्लेख किया जाएगा।

(8) अधिनियम व नियम 6 अथवा अन्य किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में की गई जाँच की पूर्णता पर जिला समिति यदि यह पाती है कि निजी विद्यालय के प्रबंधन द्वारा अधिनियम तथा इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो वह निजी विद्यालय के प्रबंधन को उसके द्वारा यथा अवधारित राशि ऐसे छात्रों या उनके पालक या अभिभावकों को, जिनसे कि वह संग्रहीत की गई है, प्रतिदाय करने संबंधी आदेश पारित करेगी। आदेश पत्र में राशि वापस करने की समय सीमा व रीति का उल्लेख किया जाएगा।

(9) जिला समिति, उपनियम (7) अथवा (8) के अधीन प्रतिदाय आदेश के अतिरिक्त उक्त निजी विद्यालय के प्रबंधन पर, जहाँ प्रतिदाय का आदेश पहली बार जारी किया गया है, वहां दो लाख रुपए तक की शास्ति और जहां प्रतिदाय का आदेश दूसरी बार जारी किया गया है वहां चार लाख रुपए तक की शास्ति और प्रतिदाय के पश्चातवर्ती आदेशों के लिए छह लाख रुपए तक की शास्ति अधिरोपित करेगी।

(10) जिला समिति, उपनियम (9) के अधीन शास्ति के अधिरोपण के अतिरिक्त उक्त निजी विद्यालय की मान्यता को निलंबित या रद्द करने की अनुशंसा भी सक्षम प्राधिकारी को कर सकेगी।

(11) यदि निजी विद्यालय प्रबंधन, उपनियम (7) अथवा (8) में यथा आदेशित राशि के प्रतिदाय या उपनियम (9) के अधीन अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने में असफल रहता है, तो जिला समिति उक्त राशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए जिला कलेक्टर को अनुरोध भेजेगी।

(12) उपनियम (11) के अधीन वसूल की गई राशि, ऐसे व्यक्तियों को तथा ऐसी प्रकिया द्वारा संदत्त की जाएगी, जैसा कि प्रतिदाय आदेश में उल्लेखित हो। वसूल की गई शास्ति की राशि इस हेतु नियम 3 के उपनियम (3) के अनुसार नियत बैंक खाते में जमा की जाएगी।

10. **प्रकिया फीस तथा शास्ति से प्राप्त राशि का व्ययः–** (1) प्रकिया फीस तथा शास्ति के रूप में प्राप्त राशि नियम 3 के उपनियम (3) के अनुसार बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(2) प्रकिया फीस तथा शास्ति के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग निम्नलिखित अनुसार किया जाएगाः–

(एक) विभागीय कार्यालयों में ई–गर्वनेंस के कियान्वयन हेतु अधोसंरचना विकास।

(दो) विद्यालयों में आईसीटी समर्थ शिक्षा को बढावा देने के लिए आवश्यक अधोसंरचना एवं आईटी सोल्युशंस की उपलब्धता हेतु।

(तीन) विभागीय अधिकारियों, संस्था प्रमुखों तथा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए नेतृत्व विकास तथा सॉफ्ट स्किल्स वृद्धि संबंधी प्रशिक्षण हेतु।

(चार) देश व विदेश में आईसीटी तथा शिक्षा गुणवत्ता के क्षेत्र में हुए नवाचारों के अध्ययन के लिए विभागीय अधिकारियों, संस्था प्रमुखों तथा शिक्षकों की एक्सपोजर विजिट हेतु।

(पांच) ऐसे कार्य अथवा विषयों के कियान्वयन हेतु जो आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा समय समय पर आवश्यक समझे जाएं।

11. **अपील का निपटाराः–**

(1) नियम 4 के उपनियम (4) के खण्ड (छ) के अनुकम में पारित जिला समिति के आदेश से व्यथित निजी विद्यालय ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्य दिवसों के भीतर राज्य समिति को अपील कर सकेगा। इस हेतु प्रकिया फीस के रूप में रू. 2500/– की राशि नियम 3 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट खाते में ऑनलाईन जमा करेगा।

(2) अपील आवेदन करने में विलम्ब की दशा में आवेदक निजी विद्यालय अपील आवेदन करने की अंतिम तिथि से आगामी 10 कार्यदिवसों तक, विलंब के कारणों तथा रू. 5000/– विलम्ब फीस सहित नियम 3 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट खाते में ऑनलाइन जमा कर सकेगा। राज्य समिति विलम्ब के कारणों से सहमत होने की दशा में अपील आवेदन पर विहित प्रकिया अनुसार विचार करेगी।

(3) राज्य समिति, अपील के निराकरण हेतु प्रकरण में जिला समिति द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी अभिलेख तथा अपीलार्थी से ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकेगी, जैसी कि अपील के विनिश्चय के लिए वह आवश्यक समझे।

(4) राज्य समिति, प्रकरण से संबंधित सभी कारकों पर विचार करते हुए तथा संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्ररूप–पांच (दो) के अनुसार आख्यापक (बोलता हुआ) आदेश पारित करके अपील का विनिश्चय करेगी।

(5) राज्य समिति, अपील प्राप्ति दिनांक से 45 कार्य दिवसों के भीतर अपील का विनिश्चय करेगी। राज्य समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

12. **लेखा और अभिलेखों का रखरखाव:–** (1) प्रत्येक निजी विद्यालय निम्नलिखित रीति से लेखे संधारित करेगा, अर्थात् :–

(एक) प्रत्येक निजी विद्यालय समस्त प्रकार के सुसंगत लेखे एवं संव्यवहार संधारित करेगा

(दो) शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन के लिए स्रोत में कटौती (टीडीएस) से संबंधित प्रमाण पत्र;

(तीन) संबंधित न्यास अथवा संबद्ध/धारण/समान न्यास की सहायक कंपनी/संचालक/सदस्य अथवा रिश्तेदार/समिति/समिति सदस्य की ओर किए गए व्यय।

(2) निजी विद्यालय द्वारा, राज्य/ज़िला समिति या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सभी पंजियों, खाते और अभिलेख अपने परिसर में रखे जाएंगे।

(3) विभिन्न मदों में प्राप्तियों और व्यय से संबंधित सभी वाउचर के साथ निजी विद्यालय द्वारा संधारित किए गए खाते को, जब तक कि खाते का अंकेक्षण नहीं हो जाता है तथा आपत्तियां यदि कोई हैं, उनके समाधान होने तक अथवा सात वर्ष की कालावधि तक जो भी अधिक हो, प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा संरक्षित किए जाऐंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सुसंगत अभिलेख, जैसा राज्य शासन उचित समझे, नियत की गई कालावधि तक प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा संरक्षित किए जाऐंगे।

(4) (क) निजी विद्यालय द्वारा, अधिनियम और नियमों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित पंजी और अभिलेख का संधारण किया जाएगा, अर्थात –

(एक) प्रवेश पंजी,

(दो) फीस संग्रह पंजी,

(तीन सभी सुसंगत लेजर के साथ रोकड़ बही,

(चार) कर्मचारीवृंद वेतन पंजी,

(पांच) चैक पंजी,

(छ:) भण्डार पंजियां,

(सात) संपत्ति पंजी,

(आठ) विद्यालय प्रबंधन की बैठकों के कार्यवाही विवरण,

(नौ) ऐसे अन्य पंजी अथवा अभिलेख जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित किया जाए।

(ख) प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रबंधन/न्यास अथवा निजी विद्यालय के प्राधिकृत व्यक्ति, खाते, अभिलेख, पंजियों इत्यादि के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।

(ग) नियम 5 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट खाते के माध्यम से प्रबंधन, शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक कर्मचारीवृंद, हाउसकीपिंग इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार के व्यय प्रभारित किए जाऐंगे।

(घ) शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक कर्मचारीवृंद सदस्यों के वेतन और भत्ते के भुगतान ऊपर उल्लेखित बैंक खाते से इलेक्ट्रानिक पेमेंट के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित किए जाएंगे।

13. **दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति :–**

राज्य सरकार को इन नियमों के कियान्वयन की प्रक्रिया में आने वाले किसी भी मुद्दे या कठिनाइयों का निवारण करने के लिए अथवा इन नियमों के कियान्वयन के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होने पर, दिशा–निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

प्ररूप–एक

(नियम 3(1)(एक) एवं 3(2)(एक) देखिए)

विद्यालय संबंधी सामान्य जानकारी

(विद्यालय की अद्यतन जानकारी नियत प्ररूप में प्री फिल्ड रूप से पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे संबंधित निजी विद्यालय द्वारा अद्यतन कर लॉक किया जाएगा तथा इस जानकारी को प्रत्येक सत्र के लिए अपडेट किया जाएगा)

विद्यालय की जानकारी का प्रारूप दृष्टिगत होगा

प्ररूप–दो

(नियम 3(1)(दो) एवं 3(2)(दो) देखिए)

(प्रथम बार पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के संपरीक्षित लेखों की प्रतियां अपलोड की जाए तथा वर्तमान सत्र से प्रतिवर्ष संपरीक्षित लेखें संबंधी जानकारी दर्ज व अपलोड की जाए)

तालिका कमांक–1, प्रथम बार प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

अनुकमांक	विद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	संपरीक्षित लेखों की प्रति अपलोड करे
(1)	(2)	(3)	(4)
1		2017-18	हॉ/ लागू नहीं
		2018-19	हॉ/ लागू नहीं
		2019-20	हॉ/लागू नहीं

तालिका कमांक–2, प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

अनुकमांक	विद्यालय का नाम	विगत वित्तीय वर्ष..............संपरीक्षित लेखों की प्रति अपलोड करे	चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट प्राक्कलन की सत्यापित प्रति अपलोड करें
(1)	(2)	(3)	(5)
1		हॉ	हॉ

प्ररूप–तीन

(नियम 3(2)(चार) देखिए)

प्रस्तावित फीस संरचना सत्र 20 .....– 20 .....

द्वारा :
आवेदक का नाम,
विद्यालय का पता पिनकोड सहित
टेलीफोन नंबर (कार्या:)
मेल आईडी :
डाईस कोड :

प्रति,
कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति,
जिला————————।

विषय : शैक्षणिक सत्र........................ के लिए ——————————— विद्यालय हेतु प्रस्तावित फीस संरचना ।

श्रीमान/श्रीमती,

मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुरार .... (न्यास/समिति/उपकम का नाम) द्वारा संचालित .... विद्यालय की शैक्षणिक सत्र .... हेतु प्रस्तावित फीस संरचना, परिशिष्ट–I अनुसार संलग्न है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा अपने संकल्प संख्या कमांक.. दिनांक .... द्वारा शैक्षणिक सत्र .... के लिए उपर्युक्त फीस संरचना का निर्धारण किया गया है जिसे जिला समिति की जानकारी हेतु एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. प्रक्रिया फीस रूपये .... का ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया गया है।
4. विद्यालय प्रबंधन का प्रस्ताव है कि :–
(क) आगामी शैक्षणिक सत्र ....में विगत शैक्षणिक सत्र ...... की तुलना में फीस में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।

अथवा

(ख) विगत शैक्षणिक सत्र .... की तुलना में इस शैक्षणिक सत्र.................. की फीस .... प्रतिशत बढ़ाई जाए।

5. मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम, 2020 के सभी प्रावधानों को हमारे द्वारा पढ़ और समझ लिया गया है तथा जिसका पालन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन बाध्य है।
6. विद्यालय के संपरीक्षित लेखों संबंधी जानकारी, अनुमानित बजट प्राक्कलन एवं अन्य जानकारी, अभिलेख और साक्ष्य जो उक्त नियमों के अधीन आवश्यक है,पोर्टल पर दर्ज व अपलोड कर दिए गए हैं।
7. उक्त नियमों के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाला आवश्यक वचन पत्र परिशिष्ट –II अनुसार संलग्न है।

भवदीय

( )
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ संचालक/प्रबंधक/न्यासी
विद्यालय/न्यास/समिति/उपकम का नाम

नोट:–उपर्युक्त प्ररूप में आवश्यक जानकारी अंकित कर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित उपरांत निजी विद्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड की जाए।

परिशिष्ट–I

1. प्रस्तावित फीस संरचना – शैक्षिक सत्र ....

अनुकमांक	प्रभाग पूर्व प्राथमिक/ प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक (प्रवर्गवार)	प्रति विद्यार्थी प्रस्तावित वार्षिक फीस आगामी सत्र.....	प्रति विद्यार्थी वार्षिक फीस विगत सत्र......	प्रति विद्यार्थी वार्षिक फीस में वृद्धि/कमी प्रतिशत में	अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के कम में फीस वृद्धि का औचित्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शिक्षण फीस				(अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) अनुसार विकल्प ड्राप–डाउन उपलब्ध रहेगे)
2	पुस्तकालय फीस				
3	वाचनालय फीस				
4	खेल फीस				
5	प्रयोगशाला फीस				
6	कंप्यूटर फीस				
7	कॉशन मनी				
8	परीक्षा फीस				
9	अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यकमों के लिये फीस जैसे– राष्ट्रीय पर्व, वार्षिक उत्सव, खेलकूद स्पर्धा				
10	प्रवेश फीस				
11	पंजीकरण, विवरण पत्रिका, प्रवेश आवेदन प्ररूप के लिये फीस				
12	अन्य कोई राशि जिसका संदाय किया जाना छात्र के लिये आज्ञापक(Mandatory) हो				
13	छात्रों द्वारा संदेय कोई अन्य राशि जो सरकार द्वारा विहित की जाए				
14	परिवहन फीस				
	कुल फीस				

(कृपया विभागवार, प्रवर्गवार पृथक–पृथक सीट संलग्न करे।)

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी जानकारी मेरे संज्ञान एवं विश्वास अनुसार सही है और इन्हें विद्यालय के मूल अभिलेखों से सत्यापित किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अनुकम में फीस में वृद्धि के फलस्वरूप, जिस वर्ष के लिए फीस वृद्धि प्रस्तावित है, उस वर्ष के प्रस्तावित व्यय के आधार पर वार्षिक प्राप्तियों पर अधिशेष 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

भवदीय

( )

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/ संचालक / प्रबंधक / न्यासी

विद्यालय / न्यास/समिति/उपकम का नाम